न्यायालय उपखण्ड अधिकरी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
252/2019	08.08.2019	25.11.2022

//उनवान//

1 सन्तोष देवी पुत्री रामजीलाल पत्नि हरिराम जाति हरिजन निवासी हुलमाना खुर्द तह0 मुण्डावर अलवर हाल निवासी पुर तह0 कोटकासिम जिला अलवर, राज0।

:– वादीया

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर।

:– प्रतिवादी

2 प्रभाती पत्नि रामजीलाल जाति हरिजन निवासी हुलमाना खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– तर0प्रतिवादी

दावा – इश्तकरारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89,राज0 काश्त0 अधि0 1955।

उपस्थितिः– श्री सत्यवीर सिंह चौहान – वकील वादीया

निर्णय दिनांक– 25.11.2022

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीया उपस्थित आये। वादीया के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 456/429 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम हुलमाना खुर्द तहसील मुण्डावर में स्थित होकर मिन वादीया व तर0 प्रतिवादी की पैत्रिक आराजी होकर मिन वादीया के पिता की फौतगी पर जरिये विरासत प्राप्त हुई है जिस पर मिन वादीया व तर0 प्रतिवादीया शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करती आ रही है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिन वादीया के नाम विरासत इन्तकाल सं0 345 वाके ग्राम हुलमाना खुर्द दर्ज करते समय खिलाफ मौका व खिलाफ कानून मिन वादीया को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही मिन वादीया का गांव में बोले जाने वाला नाम मुकेश पुत्री रामजीलाल दर्ज कर दिया जो गलत है जबकि मिन वादीया का असल नाम कागजात में संतोष देवी पुत्री रामजीलाल पत्नि हरिराम है जो सही है तथा मिन वादीया के समस्त दस्तावेजात में भी संतोष देवी पुत्री रामजीलाल पत्नि हरिराम ही दर्ज है जबकि मिन वादीया के परिवार में इस नाम का मिन वादीया के अलावा अन्य कोई व्यक्ति जीवित या मृत नहीं है इसलिए उक्त गलत इन्द्राज के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहने से मिन वादीया को काफी परेशानी हो रही है तथा अपनी आराजी का समुचित तरीके से उपयोग उपभोग करने में बाधा आ रही है आदि आधार अंकित करते हुए। वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री इश्तकरारहक मय दूरूस्ती इस अमर की फरमाई जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मिन वादीया का नाम मुकेश पुत्री रामजीलाल को हजफ कर उसके स्थान पर संतोष पुत्री रामजीलाल दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दूरूस्त फरमाये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद विधिवत तलबी प्रतिवादी सं0 1 की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब पैरोकार पेश किया जो शामिल पत्रावली है जिसके मुताबिक पैरा सं0 1 स्वीकार है वाद में दर्ज आराजी मुताबिक रिकॉर्ड वाके ग्राम हुलमाना खुर्द तह0 मुण्डावर में स्थित है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:39:23 IST
Reason: SelfAttested

तथा पैरा सं0 2 ल0 6 वादी स्वयं सिद्ध कर पैरा सं0 7 ल0 10 कानूनी, क्षेत्राधिकार से संबंधित होकर और अदालत श्रीमान है अंकित करते हुए। वादीया के पिता का विरासत नामान्तकरण नियमानुसार दर्ज एवं स्वीकृत किया गया है शेष वादी स्वयं सिद्ध कर अंकित कर पेश किया जाकर शामिल पत्रावली है एवं तर0 प्रतिवादी सं0 2 की ओर से मय अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर शामिल पत्रावली है जिसके मुताबिक वादीया का वाद डिक्री फरमाया दिया जावे मुझे कोई एतराज नहीं है अंकित कर पेश होकर शामिल पत्रावली है।

वादीया ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–74 प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी संवत 2067–70 प्रदर्श–2, नकल इन्तकाल नं0 345 ग्राम हुलमाना खुर्द प्रदर्श–3, प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत हुलमाना खुर्द प्रदर्श–4 एवं मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड की छाया प्रतिया पेश की है जो शामिल पत्रावली है एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र संतोष देवी पीडब्ल्यू–1, प्रभाती पत्नि रामजीलाल पीडब्ल्यू–2, विरेन्द्र पुत्र हरिराम पीडब्ल्यू–3 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिम्मनों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि विवादित आराजीयात वादीया एवं तर0 प्रतिवादीया की पैत्रिक आराजी होकर वादीया को अपने पिता व तर0 प्रतिवादी को अपने पति रामजीलाल की फौतगी पर जरिये विरासत प्राप्त हुई है तथा वादीया के नाम विरासत इन्तकाल सं0 345 वाके ग्राम हुलमाना खुर्द दर्ज करते समय खिलाफ मौका व खिलाफ कानून वादीया को बिना सुनवाई का अवसर दिए वादीया का गांव में बोला जाने वाला नाम मुकेश पुत्री रामजीलाल राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत दर्ज कर दिया जबकि वादीया का सही नाम संतोष पुत्री रामजीलाल पत्नि हरिराम है तथा वादीया के समस्त दस्तावेजात में भी संतोष देवी पुत्री रामजीला पत्नि हरिराम ही दर्ज है तथा वादीया के वाद के समर्थन में तर0 प्रतिवादी प्रभाती पत्नि रामजीलाल ने अपना इकबाल जवाब दावा मय अधिवक्ता पेश किया है जिसके मुताबिक वादीया के वाद को डिक्री फरमा दिया जावे मुझे कोई एतराज नहीं है अंकित है साथ ही इसी बाबत मौखिक साक्ष्य स्वरूप तर0 प्रतिवादीया ने अपना शपथ पत्र पीडब्ल्यू–2 पेश किया है तथा वादीया ने अपने वादपत्र के समर्थन में उपरोक्तानुसार प्रदर्श–1 ल0 4 एवं पहचान के दस्तावेजात पेश किये है जिनमें प्रदर्श–4 प्रमाणपत्र ग्राम पुचांयत हुलमाना खुर्द दिनांक 14.10.2022 पेश होकर शामिल हे जिसके मुताबिक वादीया हुलमाना खुर्द की रहने वाली है तथा संतोष देवी का ही गांव में बोलता नाम मुकेश है तथा संतोष देवी व मुकेश एक ही महिला है जो रामजीलाल की पुत्री है तथा मुकेश उर्फ संतोष देवी के अलावा रामजीलाल के और कोई पुत्री नहीं है अंकित कर पेश होकर शामिल पत्रावली है तथा विवादित आराजीयात में वादीया का उक्तानुसार गलत नाम का अंकन रहने से वादीया अपनी आराजी का समुचित तरीके से उपयोग उपभोग नहीं कर पा रही है एवं वादीया ने अपने वादपत्र के माध्यम से उपरोक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात द्वारा अपने वादपत्र को पूर्णरूपेण साबित कर दिया है अभिकथन करते हुए वादीया के वाद को डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात के हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादीया का गलत नाम मुकेश पुत्री रामजीलाल को हजफ कर उसके स्थान पर संतोष देवी पुत्री रामजीलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त करवाये जाने का निवेदन रहा।

वकील वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया के वाद को [illegible] स्वीकार योग्य पाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:39:23 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादीया के हाल आराजी ख0नं0 456/429 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम हुलमाना खुर्द तहसील मुण्डावर अलवर, राज0 के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में

विवादित आराजीयात के बाबत अंकित वादीया के नाम मुकेश पुत्री रामजीलाल को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उसके स्थान पर संतोष पुत्री रामजीलाल दर्ज रिकॉर्ड किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **25.11.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

25-11-2022

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:39:23 IST
Reason: SelfAttested